कयर बोर्ड सेवा
COIR BOARD SERVICES
(वर्गीकरण नियंत्रण और अपील)
(CLASSIFICATION, CONTROL AND APPEAL)
उप-नियम, 1969
BYE-LAWS, 1969
(22 नवंबर 1988 तक यथा संशोधित)
(AS AMENDED UPTO 22 NOVEMBER, 1988)

कयर बोर्ड
COIR BOARD
(भारत सरकार)
(GOVERNMENT OF INDIA)
एरणाकुलम, कोच्ची-682 016
ERNAKULAM, KOCHI-682 016

कयर बोर्ड

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली 7 जनवरी, 1969

सा. आ. 200 - कयर बोर्ड कारबार का संव्यवहार, कर्मचारियों की सेवा - शर्तों और लेखों के रख - रखाव उप नियम 1955 के उप नियमों 15 और 16 के साथ पठित और भारत सरकार द्वारा संपुष्ट कथित धारा की उप - धारा(पी) के अनुसार यथावश्यक कयर उद्योग अधिनियम, 1953(1953 का 45) की धारा 27 की उप - धारा ।

(घ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कयर बोर्ड द्वारा निर्मित निम्न लिखित उप - नियम प्रकाशित किए जाते हैं, अर्थात

1 . संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(क) ये उप - नियम कयर बोर्ड सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) उप - नियम, 1969 कहे जाएगें ।

(ख) ये तुरंत प्रभावी होंगे ।

2 . निर्वचन :- इन उप - नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) बोर्ड के कर्मचारी के संबंध में " नियुक्ति प्राधिकारी" से तात्पर्य होगा :-

(i) उस पद पर नियुक्ति करने के लिये शक्ति- प्राप्त प्राधिकारी जो बोर्ड के कर्मचारी वे उस समय धारण किया हुआ है, अथवा

(ii) बोर्ड के कर्मचारी ने उस समय जो पद धारणा किया हुआ है उस पर नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी

(ख) "बोर्ड" से तात्पर्य होगा कयर उद्योग अधिनियम 1953 (1953 का 45) की धारा 4 के अन्तर्गत स्थापित किया गया कयर बोर्ड ।

(ग) "बोर्ड के कर्मचारी" से तात्पर्य होगा कयर उद्योग अधिनियम, 1953 (1953 का 45) की धारा 9 (2) के अंतर्गत बोर्ड में नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति और इसमें केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय निकाय अथवा प्राधिकरण में बाहय सेवा में परिपत्त व्यक्ति शामिल होंगे और इसमें अस्थायी रूप से केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा साथानीय अन्य प्राधिकरणों से बोर्ड में आए हुए व्यक्ति भी इसमें शामिल होंगे ।

(घ) "अध्यक्ष" से तात्पर्य होगा बोर्ड का अध्यक्ष :

(ड) "कार्यकारिणी समिति " से तात्पर्य होगा बोर्ड की कार्यकारिणी समिति

(च) बोर्ड के कर्मचारी पर जुर्माना लगने के संबंध में "अनुशासनिक प्राधिकारी" से तात्पर्य होगा इन उप - नियमों के अन्तर्गत उप - नियम 8 में विनिर्दिष्ट जुर्मानों में से कोई जुर्माना उस पर लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी :

(छ) "वेतन" से तात्पर्य होगा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होने वाले अनुपूरक नियमों में यथापरिभाषित वेतन :

(ज) "अनुसूची" से तात्पर्य होगा इन उप - नियमों में संलग्न अनुसूची :

(झ) "सेवा" से तात्पर्य होगा बोर्ड के अंतर्गत सेवा :

(ञ) "सचिव" से तात्पर्य होगा बोर्ड का सचिव ।

3 लागू होना :— निम्नलिखित को छोडकर ये उप - नियम बोर्ड के प्रत्येक कर्मचारी पर लागू होंगे :—

(क) नैमित्त्यिक रोजगार में लगा हुआ कोई व्यक्ति :

(ख) दैनिक मजदूरी पर लगा हुआ कोई व्यक्ति

(ग) वे व्यक्ति जिन्हें एक महीने से कम समय की सूचना पर सेवा से निकाला जा सकता है

खंड । में दी गई किसी भी बात के होते हुए भी केन्द्र सरकार आदेश जारी करके बोर्ड के कर्मचारियों की किसी श्रेणी पर ये सारे उप - नियम अथवा इनका कोई भाग लागू न करने की छूट दे सकती है : ।

इन उप - नियमों अथवा इनमें से कोई उप - नियम किसी व्यक्ति किस तरह से लागू किया जाए इस पर कोई सन्देह उत्पन्न होते ही सन्दर्भ के लिए मामला केन्द्र सरकार को भेजा जाएगा जो उस पर विनिश्चय करेगी ।

किसी कानून अथवा करार द्वारा प्रदत्त अधिकारों
और विशेषाधिकारों का संरक्षण

इन उप - नियमों के प्रवर्तन में ऐसी कोई बात नहीं होगी जिससे बोर्ड के कर्मचारी को किसी उस अधिकार अथवा विशेषाधिकार से संचित किया जाएगा जिसके लिए वह निम्न रूप से हकदार हो :

(क) उस समय लागू किसी विधि द्वारा अथवा उसके अंतर्गत अथवा

(ख) इन उप - नियमें के प्रारंभ के समय ऐसे व्यक्ति और बोर्ड के बीच विध्यमान किसी करार की शर्तों द्वारा ।

भाग - II वर्गीकरण

पदों का वर्गीकरण

बोर्ड की सेवा के अन्तर्गत सभी पद निम्न प्रकार से वर्गीकृत किए जाएँगे । : —

''5. पदों का वर्गीकरण—बोर्ड की सेवा के अन्तर्गत सभी पद निम्न प्रकार से वर्गीकृत किए जाएंगे :—

क्रम संख्या *	पद का वर्णन
1.	कोई पद, जिसका अधिकतम वेतन या वेतनमान 13,500 रु० से कम नहीं है
2.	कोई पद, जिसका अधिकतम वेतन या वेतनमान 9,000 रु० से कम नहीं है, किन्तु 13,500 रु० से कम है
3.	कोई पद, जिसका अधिकतम वेतन या वेतनमान 4,000 रु० से अधिक है, किन्तु 9,000 रु० से कम है
4.	कोई पद, जिसका अधिकतम वेतन या वेतनमान 4,000 रु० या उससे से कम है

तारीख 17-11-83 के सा, आ, सं, 4372 के अन्तर्गत संशोधित और तारीख 3.12.83 को भारत के राजपत्र के भाग II धारा उप - धारा (II) में प्रकाशित ।

भाग - III नियुक्ति प्राधिकारी

बोर्ड के अध्यक्ष और सचिव के पदों पर नियुकियां केन्द्र सरकार द्वारा की जाएंगी । अन्य पदों पर नियुक्तियां अनुसूची के इस ओर से करने के लिए निर्दिष्ट किए गए प्राधिकारियों द्वारा की जाएंगी ।

भाग - IV - निलम्बन

7 निलम्बन :—(i) बोर्ड के कर्मचारी को नियुक्ति प्राधिकारी अथवा उसके अधीनस्थ कोई प्राधिकारी अथवा अध्यक्ष, इन स्थितियों में निलम्बित कर सकता है :—

(क) यदि उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई अपेक्षित हो अथवा लम्बित हो ; अथवा

(क) यदि पूर्वक्त प्राधिकारी के मतानुसार वह कर्मचारी राज्य की सुरक्षा के हित में प्रतिकुल प्रभाव डालने वाले किसी कार्यकलाप में लिप्त हो ; अथवा

(ख) उस व्यक्ति के विरुद्ध किसी अपराध की छान बीन, जांच अथवा विचारण चल रहा हो :

परन्तु निलम्बित के आदेश नियुक्ति प्राधिकारी से निचले स्तर के प्राधिकारी द्वारा दिए हों तो वह प्राधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी को तुरंत उन परिस्थितियों की सूचना देगा जिनमें उसने वह आदेश किया था ।

2. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार बोर्ड कर्मचारी निलम्बित किया हुआ माना जाएगा :—

* दि 27.2.99 के सा आ सं 599 (ई) द्वारा संशोधित

(क) 48 घंटों से अधिक समयावधि के लिए यदि उस कर्मचारी को अभिरक्षा में रोके रखने की तारीख से चाहे उसके विरूद्ध अपराधि आरोप हो अथवा अन्य :

(ख) किसी अपराध का दोष सिद्ध होने पर दोष सिद्धि की तारीख से 48 घंटों से अधिक अवधि तक कारावास में भेजे जाने पर यदि उसे पहले से ऐसी दोष सिद्धि के परिणामस्वरूप पदच्युत न किया गया हो अथवा हटाया न गया हो अथवा अनिवार्यत : सेवा - निवृत्त न कर दिया गया हो ।

स्पष्टीकरण :– इस उप - नियम के खंड (ख) में उल्लिखित 48 घंटों की अवधि दोषसिद्धि के बाद कारावास के आरंभ से परिकलित की जाएगी और इस प्रयोजन के लिए आन्तरायिक कारावास की कालावधियां, यदि कोई हों तो, ध्यान में रख जाएंगी ।

(3) यदि बोर्ड के किसी कर्मचारी को सेवा से पदच्युत करने, सेवा से हटाने अथवा अनिवर्यिता सेवा - निवृत्त करने का दंड उस कर्मचारी की अपील अथवा इन उप - नियमों के अंतर्गत पुनर्विलोकन की वजह से अपास्त कर दिया गया हो और मामला आगामी जांच अथवा कार्रवाई अथवा किसी अन्य निर्देश के अन्तर्गत प्रेषित किया गया हो तो उसके निलम्बन के अदेश उसी तारीख से लागू माने जाएगे जिस तारीख से उसकी पदच्युति , सेवा से हटाने अथवा अनिवार्यतः सेवा - निवृत्ति किए जाने के मूल अदेश दिए गए हो और ये आदेश आगामी आदेश होने तक लागू रहेंगे ।

(4) यदि बोर्ड कर्मचारी पर सेवा किए जाने, सेवा से हटाए जाने अथवा अनिवार्यतः सेवा निवृत लिए जाने का दंड अपास्त कर दिया गया हो अथवा घोषित किया गया हो अथवा न्यायालय द्वारा दिए फैसले के परिणामस्वरूप शून्य हो गया हो और अनुशासनिक प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों और आरोपों को देखते हुए उसके विरूद्ध आगामी जांच कराने का फैसला ले, जिसकी वजह से मूलरूप से इसे पदच्युत किए जाने, सेवा से हटाए जाने अथवा अनिवार्यतः सेवा -निवृत्त किए जाने का दंड दिया उसी तारीख से निलम्बित किया गया माना जाएगा जिससे सेवा से पदच्युति, सेवा–निवृत्त किए जाने के आदेश दिए गए और आगामी आदेश होने तक उसका निलम्बन जारी रहेगा।

परन्तु इस तरह की आगामी जांच के आदेश तभी दिए जाएँगे जब उससे आशय ऐसी स्थिति से निपटने से हो जिसमें न्यायालय से ये आदेश मामले के गुणागुण पर विचार किए बिना नितांत तकनीकी आधारों पर दिए हों।

5 x (क) इन उप-नियमों के अन्तर्गत दिए गए निलम्बन आदेश अथवा दिया माना गया निलम्बन आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक उसे ऐसा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपान्तरित अथवा प्रतिसंहरित न किया जाए ।

---

5 x सा. आ. सं. 4389 तारीख 20–11–1976 के भारत राजपत्र भाग ।। धारा 3, उपधारा (ii) में प्रकाशित)

(ख) यदि बोर्ड का कर्मचारी निलाम्बित किया जाता है अथवा निलंबित किया गया माना जाता है (चाहे वह आनुशासनिक कार्यवाही से संबद्ध हो अथवा अन्यथा) और उस निलम्बन के जारी रहने के दौरान उस कर्मचारी के विरुद्ध कोई अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाही आरंभ की जाती है, तो उस कर्मचारी निलम्बित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी लिखित रूप में निर्देश दे सकता है, जिसके लिए कारण दर्ज किया जाएगा, कि बोर्ड का कर्मचारी तब तक निलंबित रहेगा जब तक ये सारी कार्य-वाहियां अथवा इसमें से कोई समाप्त न हो जाए।

(ग) इस उप नियम के अंतर्गत निलंबन के लिए दिए गए अथवा माने गए आदेश किसी भी समय उस प्राधिकारी अथवा कोई अन्य प्रधिकारी जो ऐसे आदेश देनेवाले प्राधिकारी से उच्च स्तर पर हो द्वारा उपांतरित अथवा प्रतिसंहरित किए जा सकते हैं, जिसने यह आदेश हो अथवा ये आदेश जिसके दिए गए माने गये हों।

भाग V शास्तियां और

अनुशासनात्मक प्राधिकारी

8 शस्तियाँ :— ठोस और पर्याप्त कारणों के लिए बोर्ड के कर्मचारी पर निम्नलिखित और इसके पश्चात उपबंधित शास्तियां लगाई जा सकती हैं,

अर्थात

छोटी शास्तियाँ:—

(i) परिनिन्दा ;

(ii) उसकी पदोन्नति को रोका जाना

(iii) आदेशों की उपेक्षा अथवा उल्लंघन करने पर उसके द्वारा बोर्ड को हुई धनीय हानि की पूरी अथवा उसके एक भाग की वसूली कर्मचारी के वेतन में से किया जाना ;

(iv) वार्षिक वेतन वृद्धियों को रोक जाना।

बड़ी शास्तियाँ : —

(v) विनिर्दिष्टित समयावधि तक के लिए निचले स्तर में वेतन के समय—मान में अवनत करना इसके साथ-साथ आगामी निर्देश दिए जाने चाहिए कि इस तरह के दौरान बोर्ड के कर्मचारी को वेतन की वार्षिक वेतन वृद्धियाँ दी जाएंगी अथवा नहीं और यह अवधि समाप्त होने के बाद इस तरह की अवनति का प्रभाव उसके वेतन की भावी वार्षिक वेतन वृद्धियों को मुल्तवी करने को प्राभावित करेगा अथवा नहीं

(vi) ग्रेड पद अथवा सेवा में वेतन के निचले समय—मान में अवनत करता जिससे सामान्यतः बोर्ड के कर्मचारी के उस पद अथवा सेवा के ग्रेड , वेतन के समय - मान में पदोन्नति में रोध पड़ता है जिससे उसे अवनत किया गया है, इसके साथ बोर्ड के कर्मचारी को जहां से अवनत किया गया था उस ग्रेड अथवा पद अथवा सेवा में प्रत्यावर्तन की शर्तों के बारे में और उसकी वरिष्ठता और इस तरह किए जाने वाले

प्रत्यावर्तन के ग्रेड पद अथवा सेवा पर वेतन के बारे में आगामी अनुदेशक दिए जाएं अथवा न दिए जाएं ;

(ii) अनिवार्य सेवा - निवृत्ति ;

(iii) सेवा से हटाया जाना जो बोर्ड के अधीन भावी नियुक्ति के लिए निरर्हता होगी ।

(ix) सेवा से खारीज किया जाना जो सामान्यत : बोर्ड के अधीन भावी नियुक्ति के लिए निर्रहता होगी ।

स्पष्टीकरण :— निम्नलिखित का इस उप - नियम में शास्ति के रूप में अर्थ नहीं लिया जाएगा, अर्थात् :

(i) जिस सेवा का वह कर्मचारी हो अथवा पद पर वह आसीन हो अथवा उसकी नियुक्त की शर्तों को शासित करने वाले नियमों अथवा आदेशों के अनुसार यदि बोर्ड विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहे तो उसके वेतन की वार्षिक वेतन वृद्धियां रोके जाने पर ;

(ii) वेतन के समय - मान में बोर्ड के कर्मचारी को दक्षता रोक पर इस आधार पर रोका जाना कि वह रोक पर करने में अयोग्य है ;

(iii) बोर्ड के कर्मचारी को, उसके सामने पर विचार करने के बाद, उस अधिष्ठाई अथवा स्थानापन्न क्षमता में प्रोन्नत न किया जाना जिस सेवा, ग्रेड अथवा पद पर प्रोन्नति किए जाने का वह पात्र है;

(iv) बोर्ड के कर्मचारी को उस उच्चतर सेवा, ग्रेड अथवा पद पर कार्य करने के लिए अनुपयुक्त समझे जाने पर अथवा उसके आचारण से संबंध न रखनेवाले किसी अन्य प्रशासनिक आधार पर उच्चतर सेवा, ग्रेड अथवा पर से जिसमें वह स्थानापन्न से काम कर रहा था निम्नतर सेवा, ग्रेड अथवा पद पर प्रत्यावर्तित किया जाना ;

(v) बोर्ड के कर्मचारी को उसकि नियुक्ति की शर्तों के अनुसार परिवीक्षा की अवधि समाप्त होने पर अथवा उसके दौरान अथवा ऐसी परिवीक्षा को शासित करने वाले नियमों और आदेशों के अनुसार परिवीक्षा पर उसकी स्थायी सेवा, ग्रेड अथवा पद पर प्रत्यावर्तित किए होने पर;

(VI) बोर्ड के कर्मचारी की सेवा का प्रतिस्थापन किए जाने पर जबकि सेवाएं राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार के नियंत्रणाधीन किसी अन्य प्राधिकरण से उधार से ली गई हो तो उसकी सेवाएं उस प्राधिकरण को ,सौंपे जाने पर जिससे वे उधार ली गई थीं:।

(VII) बोर्ड के कर्मचारी की अधिवर्षिता अथवा सेवानिवृत्ति के उप—बन्धों के अनुसार उसे अनिवार्यत: सेवा-निवृत्त किए जाने पर ;

(VIII) सेवा समाप्ति;

(क) परिवीक्षा पर नियुक्त बोर्ड के कर्मचारी की, उसकी नियुक्ति की शर्तों अथवा ऐसी परिवीक्षा को शासित करने वाले नियमों अथवा आदेशों के अनुसार परिवीक्षा की अवधि समाप्त होने अथवा उस अवधि के दौरान;

अथवा

(ख) बोर्ड के कर्मचारी की नियुक्ति की शर्तों के अनुसार उसकी अस्थायी नियुक्त होने पर; अथवा

(ग) करार के अंतर्गत बोर्ड के कर्मचारी की नियुक्ति होने पर उस करार की शर्तों के अनुसार उसकी नियुक्ति होने पर अथवा

(IX) किसी व्यक्ति का एक पद से दूसरे अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण किए जाने पर जबकि इस तरह का स्थानांतरण निचले पद पर नहीं हो अथवा उसमें स्पष्ट रूप से यह बताया गया हो कि स्थानांतरण शस्ति के उपाय के रूप में नहीं किया गया है।

9. अनुशासनिक प्राधिकारी

(I) केन्द्र सरकार उप–नियम 8 में निर्दिष्ट की गई शास्तियों में से कोई भी बोर्ड के किसी कर्मचारी पर लगा सकती है।

(2) खंड (i) के उप–बंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना नियुक्ति प्रधिकारी अथवा इस बारे में अनुसूची में निर्दिष्ट प्राधिकारियों अथवा इस बारे में शक्ति प्राप्त कोई अन्य प्राधिकारी केन्द्र सरकार के सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा उप–नियम 8 में निर्दिष्ट की गई शास्तियों में कोई भी बोर्ड के किसी कर्मचारी पर लगा सकता है।

(3) उप-नियम 8 के खंड (v) से (ix) तक में निर्दिष्ट की गई कोई भी शस्ति नियुक्ति करने वाले प्रधिकारी से निचले स्तर का प्राधिकारी नहीं लगा सकता है।

(10) कार्यवाहियों के प्रवर्तन के प्राधिकार :

इन उप-नियमों के अतंर्गत उप–नियम 8 के खंड (I) से (iv) तक में निर्दिष्ट शस्तियों में से कोई शस्ति लगाने में सक्षम अनुशासनिक प्रधिकारी उप-नियम 8 के खंड (v) से (ix) तक में निर्दिष्ट शास्तियों में से कोई भी बोर्ड के किसी कर्मचारी पर लगाने के लिए अनुशासनिक कार्यवाहियों का प्रवर्तन कर सकता है ; चाहे वह अनुशासनिक प्राधिकारी उन उप–नियमों के अंतर्गत उत्तरवर्ती शास्तियों में से कोई लगाने में सक्षम न हो

भाग (vi) शास्तियां लगाने की प्रक्रिया

11 बड़ी शस्तियां लगाने के लिए प्रक्रिया:

(i) जहां हो, इसमें इससे आगे की गई व्यवस्था के अनुसार उप–नियम 8 के खंड (v)से (ix) तक में निर्दिष्ट की गई शास्तियों में से कोई लगाए जाने के आदेश जांच किए जाने से पहले नहीं जाएंगे।

(2) जब-जब अनुशासनात्मक प्राधिकारी का यह मत हो कि बोर्ड के किसी कर्मचारी के विरुद्ध किसी अवचार अथवा दुर्व्यवहार का कोई लांछन विश्वास करने योगय है और जांच करने के आधार है तो उसे स्वयं मामले की जांच करनी चाहिए अथवा उसकी सच्चाई की जांच करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति करनी चाहिए।

स्पष्टीकरण : यदि अनुशासनिक प्राधिकारी स्वंय जांच कर रहा हो तो जांच प्राधिकारी को दिया जाने वाला कोई संदर्भ अनुशासनिक प्राधिकारी को दिए गए संदर्भ के रूप में माना जाएगा।

(3) यदि इस उप–नियम और उप–नियम 12 के अंतर्गत बोर्ड के कर्मचारी के विरुद्ध जांच कराने का प्रस्ताव हो तो अनुशासनिक प्राधिकारी कथन बनाएगा अथवा कारणों का कथन तैयार कराएगा :

(i) अवचार अथवा दुर्व्यवहार के लांछन का सार परिभाषित करना और आरोप की मदों सुस्पष्ट करना :

(ii) आरोप की प्रत्येक मदों के समर्थन में अवचार अथवा दुर्व्यवहार के लांछन का एक विवरण दिया जाएगा इसमें बोर्ड के कर्मचारी द्वारा की गई कोई स्वीकृति अथवा दिया गया इकबालिया बयान शमिल होगा और साक्ष्यों की एक सूची जिनके द्वारा आरोप की मदों का बनाया जाना प्रस्तावित हो।

(4) अनुशासनिक प्राधिकारी आरोप की मदों की एक प्रति, अवचार अथवा दुर्व्यवहार के लांछनों का विवरण और दस्तावेज़ों तथा साक्ष्यों की एक सूची जिसके द्वारा आरोप की मदों का बनाया जाना प्रस्तावित से, बोर्ड के कर्मचारी के सुपुर्द करेगा अथवा कराएगा और बोर्ड के कर्मचारी को निर्धारित किए गए समय के भीतर (कम से कम 10 दिन) अपने बचाव के लिए एक लिखित विवरण देना होगा और बताना होगा कि क्या व्यक्तिगत रुप से वह कुछ कहना चाहता है।

(5) (क) बचाव का लिखित विवरण प्राप्त होने पर अनुशासनिक प्राधिकारी आरोप की उन मदों की स्वयं जांच कर सकता जिन्हें मानने से इनकार किया गया हो अथवा यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे, तो खंड (2) के अन्तर्गत, एक जांच प्राधिकारी नियुक्त कर सकता है और यदि बोर्ड के कर्मचारी ने अपने बचाव के लिखित विवरण में आरोप की मदों में लगे सभी आरोप स्वीकार कर लिए हों

तो उस साक्ष्य को देखते हुए अनुशासनिक प्राधिकारी, जैसा भी वह ठीक समझे, प्रत्येक आरोप पर अपने निष्कर्ष दर्ज करेगा और उप- नियम 12 में निर्धारित किए गए तरीके के अनुसार कार्य करेगा ।

(ख) यदि बोर्ड के कर्मचारी द्वारा बचाव का कोई लिखित विवरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो अनुशासनिक प्राधिकारी आरोप की मदों की जांच कर सकता है अथवा यदि वह ऐसा करना प्राधिकारी नियुक्त कर सकता है ।

(ग) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी आरोप की किसी मद की स्वयं जांच कर रहा हो अथवा ऐसे आरोपों की जांच करने के लिए जांच प्राधिकारी की नियुक्ति की गई हो तो बोर्ड के कर्मचारी अथवा उसकी और से एक विधि व्यवसायी, जिसे "प्रस्तुती करण अधिकारी" कहा जाएगा, को मामले के आरोप की मदों के समर्थन में उपस्थित रहने के लिए कहा जा सकता है

(6) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी जांच प्राधिकारी न हो तो वह जांच प्राधिकारी को निम्नांकित प्रेषित करेगा :-

(i) आरोप की मदों की एक प्रति और अवचार अथवा दुर्व्यवहार के लांछन का एक विवरण ;

(ii) बोर्ड के कर्मचारी ने यदि अपने बचाव में कोई लिखित विवरण हो तो उसकी एक प्रति ;

(iii) यदि साक्षी का कोई विवरण हो तो उसकी एक प्रति ;

(iv) खंड (3) में उल्लिखित दस्तावेजों को बोर्ड के कर्मचारी को दे दिया गया है, इसे प्रमाणित करने वाला साक्ष्य ;

(v) "प्रस्तुतीकरण अधिकारी" को नियुक्त करने के आदेश की एक प्रति ।

(7) आरोप की मदें और अवतार अथवा दुर्व्यवहार के लांछन के विवरण और आरोप की मदें उसे प्राप्त होने के दस कार्य दिवसों के भीतर बोर्ड का कर्मचारी उस दिन और उस समय, जैसा जांच प्राधिकारी इस बारे में लिखित सूचना द्वारा निर्दिष्ट करे अथवा जांच अधिकारी द्वारा दिए गए अधिक से अधिक 10 दिनों के आगामी समय के भीतर, जांच प्राधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा ।

(8) बोर्ड का कर्मचारी उसकी ओर से मामला प्रस्तुत करने में बोर्ड के किसी अन्य कर्मचारी की सहायता ले सकता है किन्तु इस प्रयोजन के लिए वह किसी विधि व्यवसायी को तब तक नहीं लगा सकता जब तक अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया प्रस्तुतीकरण अधिकारी विधि व्यवसायी न हो अथवा मामले की पारीस्थिति को देखते हुए अनुशासनिक प्राधिकारी ने ऐसा करने की अनुमति न दे दी हो

(9) बोर्ड के कर्मचारी ने अपने बचाव के लिखित विवरण में यदि आरोप की किसी मद को स्वीकार न किया हो अथवा अपने बचाव में कोई लिखित विवरण प्रस्तुत

न किया हो और वह जांच प्राधिकारी के सामने प्रस्तुत हो तो वह प्राधिकारी उससे पुछेगा कि क्या वह दोषी है अथवा उसे अपनी रक्षा में कुछ कहना है और यदि आरोप की किसी मद का दोषी होने का अभिवचन करता है तो जांच प्राधिकारी अभिवचन दर्ज करेगा, अभिलेख पर हस्ताक्षर करेगा और उस पर बोर्ड के कर्मचारी के हस्ताक्षर कराएगा ।

(10) बोर्ड का कर्मचारी आरोप की जिन मदों के लिए दोषी होने का अभिवचन करता है उनके बारे में जांच प्राधिकारी दोष का निष्कर्ष दर्ज करेगा ।

(ii) यदि बोर्ड का कर्मचारी विनिर्दिष्ट समय के भीतर उपस्थित नहीं हो पाता है अथवा उपस्थिति होने के इनकार करता है अथवा अभिवचन छोड देता है तो जांच प्राधिकारी प्रस्तुतीकरण अधिकारी की मदें प्रमाणित करना चाहता हो और यह आदेश दर्ज करने के बाद उस मामले को अधिक 30 दिन तक के लिए स्थगित करेगा कि अपने बचाव की तैयारी करने के लिए बोर्ड का कर्मचारी ;

(i) आदेश के 5 दिनों के अन्दर अथवा जांच प्राधिकारी द्वारा दी गई अनुमति के अनुसार अधिक से अधिक 5 दिन के दिए गए समय के अंदर विर्दिष्ट दस्तावेजों का, यदि कोई हों, तो, निरीक्षण करे ;

(ii) उसकी ओर से जिन साक्ष्यों का बयान लिया जाना हो उनकी एक सूची प्रस्तुत करे ;

(iii) आदेश होने के दस दिन अन्दर अथवा जांच प्राधिकारी जितने समय की अनुमति दे किन्तु वह आगामी अवधि 10 दिन से अधिक न हो ; उन दस्तावेजों की अधिकारी में हो ।

टिप्पणी :— बोर्ड के कर्मचारी को वांछित दस्तावेजों की प्रासंगीकता बतानी होगी जो बोर्ड द्वारा खोजे जाने हों अथवा प्रस्तुत किए जाने हों ।

(12) दस्तावेजों की खोज करने अथवा प्रस्तुत किए जाने की सूचना मिलने पर जांच अधिकारी उस सूचना अथवा उसकी प्रतियों को उस दस्तावेज को प्रस्तुत किए जाने की योग्य पर्ची के साथ उस प्राधिकारी को प्रेषित करेगा, ये दस्तावेज जिसकी अभिरक्षा में हो अथवा जिसके पास हों, उस मांगपर्ची में दस्तावेज किस तारीख तक चाहिए यह निर्दिष्ट किया जाना चाहिए ;

परन्तु जांच प्रधिकारी ऐसे दस्तावेजों की मांगपर्ची देने से इनकार कर सकता है जो उसके मतानुसार मामले से संबद्ध नहीं हो किन्तु उसे इसके कारण लिखित रूप में दर्ज करने चाहिए

(13) खंड (12) में उल्लिखित मांग - पर्ची प्राप्त होने पर बोर्ड अथवा अन्य प्राधिकारी, जिसकी अभिरक्षा अथवा स्वामित्व मे मांगे गए दस्तावेज हों, उन्हें जांच प्राधिकारी के समुख प्रस्तुत करेगा ।

मागे गए दस्तावेज जिस प्राधिकारी, जिसकी अभिरक्षा अथवा स्वाम्त्व में हों,

संतुष्ट होने पर लिखित रूप में कारण दर्ज कर दे कि इन सारे दस्तावेजों अथवा उसके एक भाग का प्रस्तुत किया जाना यदि लोक हित अथवा राज्य की सुरक्षा के हित में प्रतिकूल होगा तो वह जांच प्राधिकारी को तद्नुसार सूचित करेग और जांच प्राधिकारी इससे सूचित किए जाने और उपर्युक्त दस्तावेजों को प्रस्तुत न किए जाने के लिए दर्ज किए गए कारणों की वास्तविकता से संतुष्ट होने पर, सुचना बोर्ड के कर्मचारी को भिजवा देगा और इन दस्तावेजों की खोज किए जाने अथवा प्रस्तुत किए जाने की अपनी मांग–पर्ची वापस ले लेगा।

(14) जांच के लिए निर्धारित की गई तारीख को, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अथवा उसकी ओर से मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएगे जिनके आधार पर प्रसातावित आरोप की मदों प्रमाणित की जाएंगी। प्रस्तुतिकरण अधिकारी द्वारा अथवा उसकी ओर से साक्षी का परीक्षण किया जाएगा और बोर्ड के कर्मचारी द्वारा अथवा उसकी ओर से साक्षी की प्रति परीक्षा की जा सकती है। प्रस्तुतीकरण अधिकारी साक्षियों की उनमें से किसी भी मुद्दे पर दुबारा जांच करने का हकदार होगा जिन पर प्रति–परीक्षा की गई हो किन्तु जांच प्राधिकारी की अनुमति के बिना भी साक्षियों से वे प्रश्न पूछ सकता है जो वह ठीक समझे। यदि जांच प्राधिकारी की अनुमति से कोई भी बात आरंभ की जाती है तो उस बात पर साक्ष्य की प्रति परीक्षा की जा सकती है।

(15) अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से मामला बंद करने से पहले यदि आवश्यक प्रतीत हो तो, जांच प्राधिकारी अपने विवेक से प्रस्तुतीकरण अधिकारी को वे साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है जो बोर्ड के कर्मचारी को दी गई सूची में शामिल नहीं थे अथवा स्वयं नया प्रमाण मांग सकता है और ऐसे मामले में, बोर्ड का कर्मचारी, यदि वह मांग करे तो प्रस्तुत की जाने वाली प्रस्तावित आगामी साक्षी की एक सूची लेने का हकदार होगा और ऐसे नए साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने से जांच स्थगित होने से स्पष्ट रूप से तीन दिन पहले जिससे स्थगित किए जाने का दिन और जिस दिन जांच स्थगित की हो शामिल नहीं होगा। जांच प्राधिकारी बोर्ड के कर्मचारी को, यदि वह मांग करे तो, आगामी अभिलेख की एक प्रति दे सकता है। जांच प्राधिकारी यदि यह समझता हो कि नए साक्ष्य को प्रस्तुत करना न्याय के हित में है तो वह बोर्ड के कर्मचारी को नया साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति भी दे सकता है। यदि किसी साक्षी को दुबारा बुलाया गया हो और उसकी पुनः परीक्षा की गई हो तो पुनः परीक्षा के दौरान उठाए गए मुद्दों पर उसकी आगामी प्रति परीक्षा करने का बोर्ड के कर्मचारी को अधिकारी होगा।

टिप्पणी - साक्ष्य का कोई अन्तराल भरने के लिए किसी साक्षी को दुबारा नहीं बुलाया जाएगा अथवा नए साक्ष्य को बुलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस तरह के साक्ष्य केवल तभी बुलाए जाने चाहिए जब कोई अन्तर्निहित कमी हो अथवा रूप से प्रस्तुत किए गए साक्ष्य में कोई कमी हो।

16 जब अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से हो गया हो तब बोर्ड के कर्मचारी के लिए अपने बचाव में, मौखिक अथवा लिखित जैसी भी वह तरजीह दे, बयान देना आवश्यक होगा। यदि बयान मौखिक रूप से किया गया हो तो वह दर्ज किया जाएगा और बोर्ड के कर्मचारी को उस अभिलेख पर हस्ताक्षर करना होगा। किसी भी मामले में बचाव के बयान की प्रति प्रस्तुतीकरण अधिकारी, यदि नियुक्त किया गया हो तो, को दी जाएगी।

17 इसके बाद बोर्ड के कर्मचारी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएगे। यदि बोर्ड का कर्मचारी, इस तरह की तरजीह दे, तो वह स्वयं इसकी परीक्षा कर सकता है। उसके बाद बोर्ड के कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों का परीक्षण किया जा सकता है, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा साक्ष्यों पर लागू होने वाले उप-बंधों के अनुसार जांच प्राधिकारी द्वारा पुनः परीक्षण किया जा सकता है।

18 बोर्ड के कर्मचारी द्वारा अपना मामला बंद करने के बाद यदि बोर्ड के कर्मचारी ने अपना परीक्षण नहीं किया हो तो जांच अधिकारी सामान्यतः उससे उन परिस्थितियों के बारे में प्रश्न पूछेगा जो साक्ष्य में उसके विरुद्ध हों ताकि बोर्ड का कर्मचारी उन परिस्थितियों की व्याख्या कर सके जो साक्ष्य में उसके विरुद्ध हों।

19 साक्ष्य का प्रस्तुतीकरण समाप्त होने के बाद जांच अधिकारी, प्रस्तुतीकरण अधिकारी, यदि कोई नियुक्त किया गया हो, तो बोर्ड के कर्मचारी की सुनेगा अथवा यदि वे इस तरह की इच्छा व्यक्त करें तो उन्हें अपने अपने मामले का लिखित पक्षसार दाखिल करने की अनुमति दे सकता है।

20 यदि बोर्ड का कर्मचारी, जिसे आरोप की मद दी गई हो, उस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट समय तक अथवा उससे पहले बचाव का लिखित विवरण प्रस्तुत नहीं करता है अथवा जांच अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत नहीं होता है अथवा इस उप-नियम के प्रावधानों को मानने में असफल रहता है अथवा इनकार करता है तो जांच प्राधिकारी एक- पक्षीय जांच करवा सकता है।

(2) (क) उप-नियम 8 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति लगाने में सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी यदि स्वयं आरोप की किसी मदों की जांच करे अथवा जांच करवाए और उसके अपने निष्कर्षों को देखते हुए अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी जांच प्राधिकारी के किन्हीं निष्कर्षों पर उसके निश्चय को ध्यान में रखते हुए यह मत बनाता है कि बोर्ड के कर्मचारी पर उप-नियम 8 खंड (V) (से) (X) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई लगाई जानी चाहिए तो वह प्राधिकारी यदि इस तरह की शास्तियाँ लगाने में सक्षम न हो तो जांच के अभिलेख उस अनुशासनिक प्राधिकारी को प्रेषित करेगा जो, अनुसूची के अनुसार, अन्त में उल्लिखित शास्तियों को लगाने में सक्षम हो।

(ख) इस तरह से अभिलेख जिस अनुशासनिक प्राधिकारी को प्रेषित किए गए हो वह दर्ज किए गए साक्ष्यों के आधार पर कार्य कर सकता है अथवा यदि उसकी यह राज हो न्यास के हित में किन्हीं साक्ष्यों का आगामी परीक्षण किया जाना आवश्यक है तो वह साक्ष्य को दुबारा बुलाकर परीक्षण कर सकता है, प्रति-परीक्षण और साक्ष्य का पुनः परीक्षण कर सकता है और उप-नियमों के अनुसार वह जो भी ठीक समझे वही शास्ति बोर्ड के कर्मचारी पर लगा सकता है।

22 जब कभी कोई जांच प्राधिकारी जांच की सुनवाई के बाद उसमें दी गई अधिकारिता का प्रयोग न कर सके और उसके स्थान पर दूसरा जांच प्राधिकारी आए जिसके पास इस तरह की अधिकारिता हो और वह उसका प्रयोग कर सके तो इस तरह का उत्तरवर्ती जांच प्राधिकारी उसके पद पूर्ववर्ती द्वारा दर्ज किए गए साक्षियों अथवा अंशतः उसके पद- पूर्ववर्ती और अंशतः स्वयं उसके द्वारा दर्ज किए गए साक्षियों पर कार्य कर सकता है।

परन्तु यदि उत्तरवर्ती जांच प्राधिकारी का यह मत हो कि किन्हीं साक्ष्यों, जिनके साक्ष्य पहले से दर्ज किए जा चुके हों, का आगामी परीक्षण करना न्याय के हित में आवश्यक है तो इसमें इससे पहले दिए गए प्रावधानों के अनुसार वह उन साक्ष्यों में से किसी को दुबारा बुला कर उसका परीक्षण प्रति परीक्षण और पुनः परीक्षण कर सकता हैं।

23 (i) जांच के समाप्त होने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसमें निम्नलिखित को अंतर्विष्ट किया जाएगा

(क) आरोप की प्रत्येक मद के बारे में बोर्ड के कर्मचारी का बचाव

(ग) आरोप की प्रत्येक मद के संदर्भ में साक्ष्य का निर्धारण

(घ) आरोप की प्रत्येक मद पर निष्कर्ष और उसके कारण।

<u>स्पष्टीकरण:-</u>

(i) यदि जांच प्राधिकारी का यह मत हो कि जांच की कार्यवाहियों में मूलरूप से लगाई आरोप की मदों से भिन्न आरोप की कोई मद स्थापित होती है तो आरोप की उस मद पर वह अपने निषकर्ष दर्ज करेगा।

(ii) जांच प्राधिकारी, यदि वह स्वयं अनुशासनिक प्राधिकारी न हो तो, अनुशासनिक प्राधिकारी को जांच के अभिलेख प्रेषित करेगा जिसमें यह भी शामिल होगा

(क) उप-खंड (i) के अंतर्गत उसके द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट

(ख) यदि बोर्ड के कर्मचारी ने अपने बचाव में कोई लिखित विवरण प्रस्तुत किया हो तो वह विवरण

(ग) जांच के दौरान प्रस्तुत किए गए मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य

(घ) जांच के दौरान प्रस्तुतीकरण प्राधिकारी अथवा बोर्ड के कर्मचारी अथवा दोनों द्वारा दाखिल कराया गया लिखित ब्रीफ और

(ङ) जांच के बारे में अनुशासनिक प्राधिकारी और जांच प्राधिकारी ने यदि कोई आदेश दिए हों तो वे आदेश।

12. जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई

1. अनुशासनिक प्राधिकारी, यदि वह स्वयं जांच प्राधिकारी न हो तो, आगामी जांच और रिपोर्ट के लिए मामला जांच प्राधिकारी को प्रेषित कर सकता है, इसके लिए उसे इसमें कारण लिखित रूप से दर्ज करने होंगे और उप-नियम के उप-बंधों के अनुसार, जहां तक हो सकेगा, जांच प्राधिकारी आगामी जांच करने की कार्यवाही करेगा।

2. यदि आरोप की किसी मद पर जांच प्राधिकारी के निष्कर्षों से अनुशासनिक प्राधिकारी असहमत होगा तो इस तरह की असहमति के अपने कारण दर्ज करेगा और यदि इस प्रयोजन के लिए दर्ज किया गया साक्ष्य प्रयोप्त होगा तो उस आरेप पर अपने निष्कर्ष दर्ज करेगा।

3. आरोपों की सारी अथवा किन्हीं मदों पर अपने निष्कर्षों को देखते हुए यदि अनुशासनिक प्राधिकारी का यह मत होता है कि बोर्ड के कर्मचारी पर उप-नियम 8 के खंड (I) से (V) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति लगाई जा सकती है तो उप-नियम 13 में दी गई किसी बात के होते हुए भी इस तरह की शास्ति लगाने के आदेश दे सकता है।

4 * आरोप की सारी अथवा किन्हीं मदों पर अपने निष्कर्षों को देखते हुए और जांच के दौरान पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर यदि उप-नियम 8 के खंड (I) से (ix) तक में विनिर्दिष्ट की गई शास्तियों में से कोई लगाई जा सकती है तो वह इस तरह की शास्ति लगाए जाने के आदेश देगा और यह आवश्यक नहीं होगा कि लगाई जाने वाली प्रस्तावित शास्ति पर अभ्यावेदन करने के लिए बोर्ड के कर्मचारी को कोई अवसर दिया जाए।

"परन्तु अनुशासनिक प्राधिकारी, यदि वह जांच प्राधिकारी से भिन्न है तो बोर्ड के कर्मचारी को जांच रिपोर्ट की एक प्रति जांच रिपोर्ट की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर अभ्यावेदन या प्रतिवेदन करने में उसे समर्थ बनाने के लिए देगा और बोर्ड के कर्मचारी के अभ्यावेदन या प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् अनुशासनिक प्राधिकारी अपना आदेश करेगा।"

---

49 भाग II धारा 3, उप धारा (II) में प्रकाशित।

(क) बोर्ड के कर्मचारी के लिखित रूप से सूचना दे दी गई हो कि उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रस्ताव है और अपचार अथवा दुर्व्यवहार के लांछनों जिनके आधार पर प्रस्तावित कार्रवाई की जानी हो और उस प्रस्ताव के विरुद्ध वह जो भी अभ्यावेदन करना चाहे उसके लिए उसे औचित्यपूर्ण अवसर न दे दिए गए हो

(ख) उप-नियम के खंड (3) से (23) तक में दिए गए के अनुरूप उस प्रत्येक मामले में जांच कराने के बाद जिसके बारे में अनुशासनिक प्राधिकारी का यह मत हो कि इस तरह की जांच आवश्यक है

(ग) उप-खंड (क) के अन्तर्गत यदि बोर्ड के कर्मचारी ने कोई अभ्यादेवन दिया हो तो उसकी पूछ करने के बाद और उप-नियम

(घ) अपचार अथवा दुर्व्यवहार के प्रत्येक लांछन पर निष्कर्ष दर्ज नहीं कर लिया जाता है ।

(I) (क) खंड (ख) के उप खंड (क) के अंतर्गत बोर्ड के कर्मचारी द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद किसी मामले में यदि यह प्रस्तावित हो कि वेतन की वृद्धियां तीन साल से अधिक अवधि के लिए रोकी जाएं अथवा किसी अवधि के लिए वेतन की वृद्धियां (2) संचयी प्रभाव से रोकी जाएं और उप-नियम के उप खंड (3) से (23) तक में निर्धारित किए गए के अनुसार बोर्ड के कर्मचारी पर इस तरह की कोई भी शास्ति लगाने के आदेश देने से पहले जांच की जाएगी ।

2 ऐसे मामलों में कार्यवाहियों के अभिलेख में यह भी शामिल किया जाएगा ।

(I) बोर्ड के कर्मचारी को दी गई सूचना की प्रति कि उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रस्ताव है

(II) उसे दिए गए अवचार अथवा दुर्व्यवहार के लांछनों के विवरण की एक प्रति

(III) उसका अभ्यावेदन, यदि कोई हो

(IV) जांच के दौरान प्रस्तुत किए गए साक्ष्य

(V) अवचार अथवा दुर्व्यवहार के प्रत्येक लांछन पर निष्कर्ष और

(VI) मामले पर आदेश-इसके साथ उसके कारण बताए जाएं ।

14. <u>आदेशों की संसूचना</u>

अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा दिए गए आदेशों को बोर्ड के कर्मचारी को संसूचित किया जाएगा, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा यदि कोई जांच की गई हो तो बोर्ड के कर्मचारी को जांच रिपोर्ट की एक प्रति भी दी जाएगी और आरोप की प्रत्येक मद पर उसके निष्कर्षों की प्रति दी जाएगी अथवा यदि अनुशासनिक प्राधिकारी जांच अधिकारी के निष्कर्षों से सहमत नहीं हो तो उसकी असहमति के संक्षिप्त कारणों का विवरण यदि वे उसे पहले से ही न दे दिए गए हों ।

15. सामान्य कार्यवाहियां

(1.) यदि किसी मामले में बोर्ड के दो या अधिक कर्मचारी संबद्ध हों तो केन्द्र सरकार अथवा बोर्ड के ऐसे सभी कर्मचारीयों को सेवा से पदच्युत करने की शास्ति लगा सकने में सक्षम कोई अन्य प्राधिकारी एक आदेश दे सकता है जिसमें निदेश दिया जाए कि उन सभी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई एक सामान्य कार्रवाही में की जा सकती है।

टिप्पणी- यदि बोर्ड के ऐसे कर्मचारियों को पदच्युत करने की शास्ति लगाने में सक्षम प्राधिकारी भिन्न-भिन्न हों तो अनुशासनिक कार्रवाई एक सामान्य कार्यवाही में किए जाने आदेश, उन प्राधिकारियों में से उच्चतर प्राधिकारी द्वारा किए जाने चाहिए, इस पर अन्य प्राधिकारियों की सम्मति ली जानी, चाहिए।

2. उप-नियम 9 के खंड (3) के उप-बंधों में दिए गए के अनुसार इस तरह के आदेशों में यह विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(I) इस तरह की सामान्य कार्यवाही के प्रयोजन के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में काम करने वाला प्राधिकारी

(II) उप नियम 8 में विनिर्दिष्ट शास्तियाँ, जिन्हें लगाने में ऐसा अनुशासनिक प्राधिकारी सक्षम है

(III) क्या कार्यवाही में उप-नियम 11 और उप-नियम 12 अथवा उप-नियम 13 में निर्धारित की गई प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

16. कुछ मामलों की विशेष प्रक्रिया

उप-नियम 11 से उप-नियम 15 तक में दी गई किसी बात के होते हुए:-

(i) यदि आचरण के आधार पर बोर्ड के कर्मचारी पर कोई शास्ति लगाई गई हो, जो उसके आपराधिक आरोप की दोष से सिद्धि की ओर सकेंत करता हो, अथवा
(ii) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी का समाधान हो गया हो कि इन उप- नियमों को उप-बंधों के अनुसार जांच करना युक्तियुक्त तौर पर साध्य नहीं है, समाधान होने के कारण उस लिखित रूप में दर्ज करने चाहिए, अथवा
(iii) यदि केन्द्र सरकार का समाधान हो गया हो कि राज्य की सुरक्षा के हित में, इन उप-नियमों के उप-बंधों में दिए गए के अनुसार कोई जांच कराना समीचीन नहीं है, तो अनुशासनिक प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों पर विचार कर सकता हो और उस पर जैसा भी वह ठीक समझे, आदेश दे सकता है।

17. अन्य प्राधिकारियों को उधार भेजे गए अधिकारीयों के बारे में उप-बंध

(I) यदि कोई कर्मचारी किसी अन्य प्राधिकारी (इस नियम में इससे आगे जिसे 'उधार कर्ता प्राधिकारी' कहा गया है) को उधार पर भेजा हो तो उस कर्मचारी को

निलम्बित करने के प्रयोजन के लिए उधार कर्ता प्राधिकारी के पास "नियुक्ति कर्ता प्राधिकारी" की और उस कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासमिक कार्यवाही करने के प्रयोजन के लिए "अनुशासनिक प्राधिकारी" की शक्तियां प्राप्त होंगी।

परन्तु उधारकर्ता प्राधिकारी उस बोर्ड को, जिससे उसकी सेवाएं उधार ली गई हों, तुरंत उन परिस्थितियों की जानकारी देगा जिनकी वजह से उस कर्मचारी को निलम्बित करने के आदेश देने पडे हों अथवा अनुशासनिक कार्यवाहियां, जैसा भी मामला हो, आरंभ की गई हों।

2 इस तरह से उधार दिए गए बोर्ड के कर्मचारी के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाही के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए।

यदि उधारकर्ता प्राधिकारी का यह मत हो कि उस कर्मचारी पर उप-नियम 8 के खंड (I)से (IV) तक में विनिर्दिष्ट शक्तियों में से कोई लगाई जानी चाहिए तो बोर्ड से परामर्श करके मामले पर जैसा भी आवश्यक समझे, आदेश दे सकता है

परन्तु उधारकर्ता प्राधिकारी और बोर्ड के मत में भिन्नता होने पर बोर्ड के कर्मचारी की सेवाएं बोर्ड को वापस सौंप दी जाएंगी।

(II) यदि उधारकर्ता प्राधिकारी का यह मत हो कि उस कर्मचारी पर उप- नियम 8 से खंड (I) से (IV) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई लगाई जानी चाहिए तो वह उसकी सेवाएं बोर्ड को वापस सौंप देगा और जांच की कार्यवाहियों को बोर्ड को भेज देगा और उसके बाद बोर्ड, यदि वह अनुशासनिक प्राधिकारी हो तो उस पर आवश्यक समझे जाने वाले आदेश देगा, अथवा यदि वह अनुशासनिक प्राधिकारी न हो तो मामले को अनुशासनिक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा जो उस पर आवश्यक समझे जाने वाले आदेश देगा।

<u>स्पष्टीकरण</u> – इस खंड के अंतर्गत उधारकर्त्ता प्राधिकारी द्वारा भेजे गए जांच के अभिलेख पर अथवा यदि वह आवश्यक समझे तो आगामी जांच कराने के बाद अनुशासनिक प्राधिकारी आदेश दे सकता है।

18. <u>केन्द्र सरकार, राज्य सरकार आदि से उधार लिए गए अधिकारियों के बारे में उप-बंध</u>

(I) अनुशासनिक कार्यवाहियों में निलम्बन के आदेश यदि बोर्ड के उस कर्मचारी के विरुद्ध किए गए हों जिसकी सेवाएं केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा उनके अधीनस्थ प्राधिकरण अथवा स्थानीय अथवा अन्य प्राधिकरण से उधार ली गई हों, उसकी सेवाएं उधार देनेवाले प्राधिकारी (इस नियम में जिसे इसमें आगे "उधारदाता प्राधिकारी" कहा गया है) को तुरंत उन परिस्थितियों की जानकारी देगा जिनकी वजह से कर्मचारी को निलम्बित करने के आदेश देने पडे हों अथवा अनुशासनिक कार्यवाहियां, जैसा भी मामला हो, आरंभ की गई हों।

2. इस तरह से उधार लिए गए बोर्ड के कर्मचारी के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्यवाही के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए।

यदि अनुशासनिक प्राधिकारी का यह मत हो कि उस कर्मचारी पर उप-नियम 8 के खंड (I) से (IV) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई लगाई जानी चाहिए तो उधारदाता प्राधिकारी से परामर्श करके मामले पर वह, जैसा आवश्यक समझे, आदेश दे सकता है।

परन्तु अनुशासनिक प्राधिकारी और उधारदाता प्राधिकारी के मत में भिन्नता होने पर बोर्ड के कर्मचारी की सेवाएं उधारदाता प्राधिकारी को वापस सौंप दी जाएगी।

(II) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी का यह मत हो कि उस कर्मचारी पर उप- नियम 8 के खंड (V) से (IX) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई लगाई जानी चाहिए तो वह बोर्ड के कर्मचारी की सेवाएं उधार दाता प्राधिकारी को वापस सौंप देगा और जांच की कार्यवाहियों को उधार दाता प्राधिकारी को भिजवा देगा ताकि वह आवश्यक समझी जानेवाली कार्रवाई करे।

19. ऐसे आदेश जिनके विरुद्ध अपील नहीं की जाएगी

इस भाग में दी गई किसी बात के होते हुए भी

(I) केन्द्र सरकार द्वारा दिया गया कोई आदेश

(II) निलम्बन के आदेश के अतिरिक्त अन्तवर्ती प्रकार अथवा सहायक कदम के प्रकार अथवा अनुशासनिक कार्यवाही के अंतिम निपटान के कोई आदेश:

(III) उप-नियम के अंतर्गत जांच के दौरान जांच प्राधिकारी द्वारा दिए गए किसी आदेश के विरुद्ध अपील नहीं की जाएगी।

* स्पष्टीकरण- इस उप-नियम के अंतर्गत "अपील" से तात्पर्य उप- नियमों में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों के उप-नियमों की परिधि के अन्दर अपील से होगा और इसका तात्पर्य व्यक्ति व्यक्तियों को इन उप-नियमों के अंतर्गत दिए गए किसी आदेश के विरुद्ध न्यायालय में अपील करने से रोकना नहीं।

20 <u>ऐसे आदेश जिनके विरुद्ध अपील की जा सकती है</u>

उप-नियम 19 के उप-बंधों के अध्यधीन बोर्ड का कर्मचारी निम्नलिखित आदेशों अथवा उनमें से किसी आदेश के विरुद्ध अपील करने की तरजीह दे सकता है अर्थात्

(I) उप-नियम 7 के अंतर्गत दिए गए अथवा दिए गए समझे गए निलम्बन के आदेश

(II) उप -नियम 8 में विनिर्दिष्ट की गई शास्तियों में से कोई लगाने के आदेश चाहे वे अनुशासनिक प्राधिकारी अथवा किसी अपीली अथवा पुनर्विलोकन प्राधिकारी द्वारा दिए गए हों:

---

* का. आ. सं. 4389 तारीख 20-11-1976 के भारत के राजपत्र, भाग ii धारा उप धारा (II) में प्रकाशित

(III) उप -नियम 8 के अंतर्गत लगाई गई किसी शास्ति में वृद्धि करने के आदेश हों।

(IV) कोई आदेश जिसमें

(क) नियमों द्वारा अथवा करार द्वारा नियमित उसके वेतन, भत्तों, पेशंन अथवा सेवा की अन्य शर्तों के अनुसार उसके अहित से इनकार अथवा फेरफार हो अथवा

(ख) ऐसे किसी नियम अथवा करार के उप-बंधों का निर्वचन ऐसे अहित में किया गया हो ।

(IV) आदेश

(क) जिनमें उसे वेतन के समय-मान में दक्षता रोध पर इस आधार पर रोका गया हो कि वह रोध पार करने के अयोग्य है

(ख) शास्ति के रूप से अन्यथा उसे उच्चतर सेवा, ग्रेड अथवा पद से निचले स्तर पर सेवा ग्रेड अथवा पद पर उस समय प्रतिवर्तित किया जाना जबकि वह स्थानापन्न रूप से काम कर रहा हो ।

(ग) पेंशन को कम करना अथवा रोकना अथवा नियमानुसार उसे ग्राहुय अधिकतम पेंशन देने से इंकार करना

(घ) निलम्बन की अवधि अथवा उसके किसी भाग के लिए उसे देय निर्वाह और अन्य भत्तों का निर्धारण

(ङ) उसके वेतन और भत्तों का निर्धारण

(I) निलम्बन की अवधि के लिए अथवा

(II) उसे सेवा से पदच्युत किए जाने, हटाए जाने अथवा अनिवार्यता सेवा नियुक्ति किए जाने की तारीख से अथवा उसे निचली सेवा, ग्रेड, पद, समय-मान अथवा वेतन के समय मान के स्तर पर पदावनत किए जाने की तारिख से अथवा उसे बहाल किए जाने अथवा उसकी सेवा, ग्रेड अथवा पद पर पुनः प्रतिष्ठित किए जाने की अवधि के लिए किया जाएगा, अथवा

(च) निर्धारित करना कि उसे निलम्बित किए जाने की तारीख से अथवा उसे पदच्युत किए जाने, हटाए जाने, अनिवार्यतः सेवा निवृत्त किए जाने अथवा निचली सेवा, ग्रेड, पद, वेतन के समय-मान में पदावनत किए जाने अथवा वेतन के सम-मान में निचले स्तर पर पदावनत किए जाने की तारिख से उसकी सेवा, ग्रेड अथवा पद पर उसे पुनः प्रतिष्ठित किए जाने की तारिख तक की अवधि अन्य प्रयोजन के लिए ड्यूटी पर बिताई गई अवधि के रूप में मानी जाएगी अथवा नहीं ।

<u>स्पष्टीकरण</u> — इस उप-नियम में

(I) 'बोर्ड के कर्मचारी' अभिव्यक्ति में वह व्यक्ति शामिल है जो बोर्ड की सेवा में रहा हो ।

(II) "पेंशन" अभिव्यक्ति में पेंशन, उपदान और कोई अन्य सेवा निवृत्ति लाभ भी शामिल है ।

21 अपील अधिकारी

(I) बोर्ड का कर्मचारी जिसमें बोर्ड के कर्मचारी न माने जाने वाले व्यक्ति भी शामिल है उप-नियम 20 में विनिर्दिष्ट किए गए सारे उपदेशों अथवा किसी आदेश के विरुद्ध अनुसूचि में इसके लिए विनिर्दिष्ट किए गए प्राधिकारी को अपील करने की तरजीह दे सकता है अथवा यदि ऐसा कोई प्राधिकारी विनिर्दिष्ट न किया गया हो तो

(क) यदि अपील उस आदेश के विरुद्ध की जानी हो जो नियुक्ति अधिकारी के अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा किया गया हो तो नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी को अथवा

(ख) यदि ऐसे आदेश किसी अन्य प्राधिकारी ने किए हों तो केन्द्र सरकार से अपील की जा सकती है।

2. खंड (I) में दी गई किसी बात के होते हुए भी

(I) उप-नियम 15 के अंतर्गत की गई सामान्य कार्यवाही में आदेश के विरुद्ध अपील उस प्राधिकारी को की जाएगी जो इस प्रयोजन के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्यपालक प्राधिकारी हो और सीधे उसके अधीन हो।

(II) यदि कोई व्यक्ति जिसने अपील आदेश दिए हो उसकी उत्तरवर्ती नियुक्ति अथवा अन्यथा के आधार पर अपील प्राधिकारी बन जाए तो उस आदेश के बारे में अपील उस प्राधिकारी को की जाएगी जो सीधे उस व्यक्ति के अधीन हो।

22. अपीलों के लिए रिसीमा-काल

जिस आदेश के विरुद्ध अपील की जानी हो उसकी प्रति अपीलार्थी को सौंपे जाने की तारिख से 45 दिनों की अवधि के भीतर यदि इस तरह की अपील प्रस्तुत न की गई हो तो उसके बाद उस भाग के अंतर्गत की गई अपील पर विचार नहीं किया जाएगा

परन्तु यदि अपील प्राधिकारी का समाधान हो गया हो कि अपीलार्थी के पास अपील समय पर प्रस्तुत न करने के पर्याप्त कारण थे तो वह इस अवधि के समाप्त होने के बाद की गई अपील पर विचार कर सकता है।

23. अपील का रूप और विषय-वस्तु

1. प्रत्येक व्यक्ति अलग-अलग और अपने व्यक्तिगत नाम से अपील प्रस्तुत करेगा।

2. अपील उसी प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी जिसे अपील की जानी हो, अपीलार्थी द्वारा उसकी एक प्रति उस प्राधिकारी को अग्रेषित की जाएगी जिसने वे आदेश दिए हों जिनके विरुद्ध अपील की जा रही हो। इसमें सारे तात्विक कथन और तर्क दिए जाएँगे जिनका अपीलार्थी ने उत्तर दिया हो किन्तु इसमें अनादरपूर्ण भाषा नहीं होगी और यह स्वयं परिपूर्ण होगी।

3 जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई हो उसे करने वाला प्राधिकारी अपील की प्रति प्राप्त होने पर, उस पर अपनी टिप्पणी देकर संबद्ध अभिलेखों के साथ,

अपील प्राधिकारी को प्रेषित कर देगा और इसमें वह किसी तरह का परिहार्य विलम्ब और अपील प्राधिकारी के निर्देश की प्रतीक्षा नहीं करेगा।

24. अपील का प्रतिफल

1. निलम्बन के आदेश के विरुद्ध की गई अपील के मामले में, उप-नियम 7 के उप- बंधों को ध्यान में रखते हुए और मामले की परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए, अपील प्राधिकारी विचार करेगा कि निलम्बन के आदेश न्यायपूर्ण है अथवा नहीं और तदनुसार आदेश की संपुष्टि अथवा प्रतिसंहरण करेगा।

2. उप-नियम 8 में विनिर्दिष्ट की गई शास्तियों में से कोई शास्ति लगाई जाने के आदेश के विरुद्ध की गई अपील के मामले में अपील प्राधिकारी निम्न बातों पर विचार करेगा कि क्या

(क) इन उप-नियमों में निर्धारित की गई प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है और यदि नहीं तो क्या उस तरह के अव-अनुपालन के परिणामस्वरूप संविधान के किसी उपबंध का उल्लंघन हुआ है अथवा न्याय नहीं हो पाया है।

(ख) निष्कर्ष न्यायानुमत रहे और

(ग) लगाई गई शास्ति अत्यधिक, पर्याप्त अथवा उपयोक्त है और आदेश देगा कि

(i) शास्ति को अपास्त किया जाए, कम किया जाए, संपुष्ट किया जाए अथवा बढ़ाया जाए

(ii) मामले को उस प्राधिकारी के पास भेजना जिसने शास्ति लगाई हो अथवा मामले की परिस्थितियों को देखते हुए, उचित समझे जाने वाले निर्देशों के साथ, किसी अन्य प्राधिकारी के पास मामला भेजना।

परन्तु (i) अपील प्राधिकारी कोई बढ़ाई गई शास्ति तब तक नहीं लगाएगा जब तक वह प्राधिकारी अथवा जिस प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील की गई हो इस तरह की शास्ति लगाने के लिए सक्षम न हो

(ii) बढ़ाई गई शास्ति लगाने के आदेश तब तक नहीं दिए जाएगे तब तक अपीलार्थी को इस तरह शास्ति बढ़ाए जाने के आदेश के विरुद्ध, जैसा भी अभ्यावेदन वह करना चाहता हो, उसका अवसर नहीं दे दिया जाएगा और

(iii) अपील प्राधिकारी द्वारा प्रस्तावित लगाई जाने वाली बढ़ाई गई शास्ति यदि उप-नियम 8 के खंड (V)से (ix) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से एक हो और इस मामले में उप-नियम 12 के खंड (4) के अंतर्गत पहले से मामले की जांच नहीं कराई गई हो तो उप-नियम 16 के उप-बंधों के अनुसार जांच प्राधिकारी ऐसी जांच स्वयं करेगा अथवा इस तरह की जांच किए जाने के निर्देश देगा और उसके बाद उस तरह की जांच की कार्यवाहियों पर विचार करते हुए और उस शास्ति के विरुद्ध अपीलार्थी जो भी अभ्यावेदन करना चाहे उसके अवसर देने के बाद वह जो भी उचित समझे वे आदेश देगा।

3 उप-नियम 21 में विनिर्दिष्ट किसी आदेश के विरुद्ध अपील किए जाने के मामले में अपील प्राधिकारी मामले की सारी परिस्थितियों पर विचार करेगा और वह न्यायसंगत तथा साम्यपूर्ण रूप से ठीक समझे जाने वाले आदेश देगा।

25. अपील में आदेशों का कार्यान्वयन

जिस प्राधिकारी द्वारा दिए गए आदेशों के विरुद्ध अपील की गई हो वही अपील प्राधिकारी द्वारा दिए गए आदेशों को प्रभावी बनाएगा।

भाग ।।। पुनर्विलोकन

26. (I) इन उप-नियमों में दी गई किसी बात के होते हुए भी, केन्द्र सरकार स्वप्रेरणा से अथवा अन्यथा, मामले के अभिलेख मंगवाने के बाद, इन उप-नियमों के अन्तर्गत दिए गए किसी आदेश का पुनर्विलोकन कर सकती है और

क) आदेश की पुष्टि आशोधन अथवा अपास्त कर सकती है अथवा

ख) कोई शास्ति लगा सकती गए अथवा अपास्त कर सकती है, आदेशों द्वारा लगाई गई शास्ति को कमकर सकती है, उसकी पुष्टि कर सकती है अथवा उसे बढा सकती है अथवा

ग) मामला उस प्राधिकारी के पास भेज सकती है जिसने आदेश दिए थे अथवा किसी अन्य प्राधिकारी को आगामी कार्यवाई किए जाने के निर्देशों के साथ भेज सकती है अथवा मामले की परिस्थितियों में सरकार जो उचित समझे वह जांच कराने के लिए कह सकती है अथवा

घ) वही जो भी उचित समझे वे आदेश दे सकती है।

परन्तु (I) शासित लगाने अथवा बढाने के आदेश तब तक नहीं दिए जाएगी जब तक संबद्ध व्यक्ति को, इस तरह बढाई गई शास्ति के विरुद्ध जिस तरह का अभ्यावेदन वह करना चाहता है उसके लिए, अवसर न दे दिया गया हो

(II) यदि केन्द्र सरकार किसी मामले में उप-नियम 8 के खंड (V) से (IX) तक में शामिल की गई शास्तियों में से कोई लगाना चाहता हो और उप-नियम 12 के खंड (4) के अनुसार वह यह निर्देश देगी कि इस तरह की जांच कराई जाए और उसके बाद उस जांच की कार्यवाहियों पर विचार करते हुए और अपीलार्थी को उसकी इच्छानुसार, शास्ति के विरुद्ध आभ्यावेदन करने के अवसर देने के बाद, वह जो भी उचित समझे, आदेश देगी,

2. पुनर्विलोकन की कार्यवाहियां

(I) अपील के लिए परिसीमा की अवधि समाप्त होने के बाद

(II) यदि उस तरह की कोई अपील प्रस्तुत की गई हो तो उसका निपटान होने के बाद, प्रारंभ नहीं की जाएगी।

3. पूनर्विलोकन के लिए आवेदन पर उसी तरह से कार्य किया जाएगा जिस तरह से इन उप-नियमों के अंतर्गत अपील पर किया जाता ।

भाग IX विविध

27. आदेशों, सूचनाओं आदि की तामील

इन उप-नियमों के अंतर्गत बनाए अथवा जारी किए गए प्रत्येक आदेश, सूचना और अन्य प्रक्रिया की तामील बोर्ड के संबद्ध कर्मचारी पर व्यक्तिगत रूप से की जाएगी और रसीद ली जाएगी अथवा उसे पावती सहित रजिस्टर्ड डाक से सूचित किया जाएगा ।

28. समय-सीमा शिथिल करने और विलम्ब के लिए माफी देने की शक्ति

इन उप-नियमों में अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय इन उप- नियमों के अंतर्गत अच्छे और पर्याप्त कारणों के लिए कोई आदेश बनाने में सक्षम प्राधिकारी को यदि पर्याप्त कारण अथवा, पर्याप्त हेतुक बताए जाते हैं तो वह इन उप-नियमों के अंतर्गत किए जाने वाली किसी वांछित कार्य के लिए इन उप-नियमों विनिर्दिष्ट समय बढा सकता है अथवा किसी विलम्ब के लिए माफी दे सकता है ।

29. व्यावृतियां

1. इन उप-नियमों के प्रारंभ के समय लंबित कार्यवाहियां जारी रहेंगी और यथासंभव इन उप-नियमों के उप- बंधों के अनुसार ही उनका निपटान किया जाएगा
2. किसी विषय पर की गई अपील अथवा पुनर्विलोकन के आवेदन पर, जो इन उप-नियमों के प्रारंभ के बाद लंबित हो अथवा प्रस्तुत की गई हों, इन उप-नियमों के अंतर्गत विचार किया जाएगा और उस पर इन उप-नियमों के अनुसार आदेश दिए जायेंगे ।

30. शंकाओं का निराकरण

यदि इन उप-नियमों के किन्हीं उपबंधों के निर्वचन से कोई शंका उत्पन्न हो तो मामला केन्द्र सरकार से भेजा जाएगा जो उस पर विनिश्चय करेगी ।

अनुसूची

पद और अथवा समूह के विवरण	नियुक्त प्राधिकारी	शास्ति लगाने में सक्षम प्राधिकारी और वे शास्तियां जो वह लगा सकता है (उप-नियम 8 की मद संख्याओं के संदर्भ में) प्राधिकारी शास्तियां	अपील प्राधिकारी
समूह "क" के सभी पद	अध्यक्ष (कार्यपालक समिति की सिफ़ारिश पर और केन्द्र सरकार की अनुमति से)	केन्द्र सरकार सभी	केन्द्र सरकार
समूह "ख" पद	अध्यक्ष (कार्यपालक समिति की सिफ़ारिश पर और केन्द्र सरकार की अनुमति से)	केन्द्र सरकार सभी	केन्द्र सरकार
जिस पद के लिए वेतन का अधिकतम वेतन मान 960- रू अथवा अधिक हो	अध्यक्ष (कार्यपालक समिति की सिफ़ारिश पर) और केन्द्र सरकार की अनुमती से)	केन्द्र सरकार सभी	केन्द्र सरकार
2. जिस पद के लिए वेतन का अधिकतम वेतन-मान 960- रू से कम हो	अध्यक्ष (कार्यपालक समिति की सिफाफरिश पर)	केन्द्र सरकार सभी	केन्द्र सरकार
समूह "ग" के पद	अध्यक्ष (कार्यपालक समिति की सिफ़ारिश पर)	केन्द्र सरकार सभी	केन्द्र सरकार
समूह "घ" के पद	सचिव	सचिव सभी	अध्यक्ष

सं आ संख्या 4372 तारीख 3-12-1983 के भारत के राजपत्र, भाग 11. धारा 3, उप-धारा (ii) में संशोधित और प्रकाशित

का.आ. 3413(अ.) दि. 09.11.2016 द्वारा संशोधित

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2658] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 9, 2016/कार्तिक 18, 1938
No. 2658] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 9, 2016/KARTIKA 18, 1938

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2016

का.आ. 3413(अ).— कयर बोर्ड (व्यवसाय का संचालन, कर्मचारियों की सेवा शर्तें तथा लेखा का अनुरक्षण) उपनियम, 1955 के उपनियम 15 तथा 16 के साथ पठित कयर उद्योग अधिनियम, 1953(1953 का 45) की धारा 27 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केंद्र सरकार द्वारा की गई पुष्टि अनुसार कयर बोर्ड एतद्वारा कयर बोर्ड सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) उपनियम, 1969 में निम्न संशोधन करता है, अर्थात् :-

1. (1) इन उपनियमों को कयर बोर्ड सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) उपनियम, 2016 कहा जाएगा।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कयर बोर्ड सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) उपनियम, 1969 में निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

अनुसूची

पद तथा या समूह का विवरण	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्तियां लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी और शास्तियां जिन्हें यह लगा सकता (उपनियम 8 में मद संख्याओं के संदर्भ में) है		अपीलीय प्राधिकारी
		प्राधिकारी	शास्तियां	
समूह 'क' पद निदेशक (विपणन) और निदेशक अनुसंधान और विकास, प्रशिक्षण तथा विस्तार) या सचिव (कयर बोर्ड) को छोड़कर समकक्ष पद 7600/- रुपये या इससे ऊपर के ग्रेड पे वाले	अध्यक्ष कयर बोर्ड (केंद्र सरकार के अनुमोदन से)	सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय।	सभी	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री
(i) 7600/- रुपये के नीचे के ग्रेड पे वाले सभी अन्य समूह 'क' पद (ii) सभी समूह 'ख' तथा 'ग' पद	अध्यक्ष, कयर बोर्ड	अध्यक्ष, कयर बोर्ड	सभी	सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

[फा. सं. 6(6)/2015-कयर]

बी.एच. अनिल कुमार, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणीः मूल उपनियम 18 जनवरी, 1969 के का.आ. 200 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए तथा बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गएः

(i) दिनांक 12 जुलाई, 1975 की अधिसूचना का.आ. 2279

(ii) दिनांक 20 नवम्बर, 1976 की अधिसूचना का.आ. 4389

(iii) दिनांक 17 नवम्बर, 1986 की अधिसूचना का.आ. 4372

(iv) दिनांक 22 नवम्बर, 1988 की अधिसूचना का.आ. 1075(अ)

(v) दिनांक 23 अक्तूबर, 1992 की अधिसूचना का.आ. 779(अ)

(vi) दिनांक 27 जुलाई, 1999 की अधिसूचना का.आ. 599(अ)

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November, 2016.

S.O. 3413(E).— In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 27 of the Coir Industry Act, 1953 (45 of 1953) read with bye-laws 15 and 16 of the Coir Board (Transaction of Business, Conditions of Service of Employees and Maintenance of Accounts)

Bye-laws, 1955 and confirmed by the Central Government, the Coir Board hereby makes the following amendments to the Coir Board Services (Classification, Control and Appeal) Bye laws, 1969 namely: -

1. (1) These Bye-laws may be called the Coir Board Services (Classification, Control and Appeal) Bye-laws, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Coir Board Services (Classification, Control and Appeal) Bye-laws, 1969 the following Schedule shall be substituted, namely: -

SCHEDULE

Description of Post and /or group	Appointing authority	Authority competent to impose penalties and penalties which it may impose (with reference to item numbers in bye-law 8)		Appellate authority.
		Authority	Penalties	
Group 'A' posts- Director(Marketing) and Director(Research, Development, Training and Extension) or equivalent post except Secretary (Coir Board) having grade pay of Rs. 7600/- or above.	Chairman Coir Board (with the approval of Central Government)	Secretary to the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises.	All	Minister of Micro, Small and Medium Enterprises.
(i)All other group 'A'posts having grade pay below of Rs. 7600/- (ii) All group 'B' and 'C' posts	Chairman, Coir Board	Chairman, Coir Board	All	Secretary to the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises.

[F.No. 6(6)/2015-Coir)]

B.H. ANIL KUMAR, Jt. Secy.

Foot Note: The principal Bye-laws were published in the Gazette of India vide S.O. 200 dated the 18th January,1969 and subsequently amended vide:

(i) Notification S.O. 2279 dated the 12th July,1975.

(ii) Notification S.O. 4389 dated the 20th November,1976.

(iii) Notification S.O. 4372 dated the 17th November,1983.

(iv) Notification S.O. 1075(E) dated the 22nd November,1988.

(v) Notification S.O. 779(E)dated the 23rd October,1992.

(vi) Notification S.O. 599(E) dated the 27th July,1999.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.